सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 में उत्क्रमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि, पाठ्य सामग्री तथा विद्यालय के रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 21 अर्थात कुल 87 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तथा 25 नए आवासीय विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 से अबतक कुल 55,713 (पचपन हजार, सात सौ तेरह) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना** वर्ष 2018-19 में लागू की गयी।

  इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उनकी छात्रावास संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति छात्र-छात्रा 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जाता है। यह राशि सीधे छात्र-छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

  इस योजना के तहत माह जनवरी, 2021 से सितंबर, 2023 तक की अवधि में कुल 106192 छात्र-छात्राओं के मध्य अनुदान की राशि वितरित की गयी है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को बेड, फर्नीचर, बर्तन, रसोइया, इत्यादि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही थी। सरकार की यह सोच थी कि यदि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को खाद्यान्न की भी डोर स्टेप डिलीवरी के तहत उनके छात्रावास तक सीधे पहुँचा दिया जाए तो छात्रों को खाद्यान्न हेतु बाजार अथवा इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा तथा वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकेंगे। इसे ध्यान में रखकर इन छात्रावासों में आवासित एवं अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रति माह 15 किलो मुफ्त अनाज देने के लिए **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति खाद्यान्न आपूर्ति योजना** वर्ष 2018-19 में प्रारंभ की गयी।

  वर्तमान में इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं की रुचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है।

- राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे अभ्यर्थी, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में पास करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018-19** में लागू की गयी।

  इस योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000 (पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त 1,00,000 (एक लाख) रुपये की राशि दी जाती है।

  इस योजना के तहत अब तक 4,113 (चार हजार, एक सौ तेरह) छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 3,969 (तीन हजार नौ सौ उनहत्तर) है तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 144 (एक सौ चैवालिस) है।

- राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास एवं उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू की गई है जो वर्ष 2018 से लागू है।**

  इस योजना के तहत कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रु0 का 50 प्रतिशत अधिकतम 05 लाख रुपये ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जाता है। शेष 50 प्रतिशत राशि अधिकतम 05 लाख रुपये विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान /सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी** योजनान्तर्गत अबतक 10,056 (दस हजार छप्पन) उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को वर्षभर जीविकोपार्जन की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने के लिए सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए **सतत जीविकोपार्जन योजना** की शुरुआत 26 अप्रैल, 2018 को की गयी।

  इस योजना के तहत लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 60,000 रु0 से लेकर 1,00,000 रु0 तक प्रति परिवार निवेश में सहयोग दिया जा रहा है तथा लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक 1000 रुपया प्रति माह (7 माह तक) सहायता राशि भी देने का प्रावधान है। वर्तमान में परिसम्पत्ति के सृजन हेतु प्रावधानित राशि को बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया गया है।

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधन अधिनियम, 2015** के अंतर्गत अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत दर्ज शिकायतों के अनुश्रवण हेतु पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत आधुनिक सुविधायुक्त कॉल सेन्टर **'सहायता'** स्थापित किया गया।

  इसके अंतर्गत अबतक 1,07,136 (एक लाख सात हजार एक सौ छत्तीस) लोगों को कॉल सेन्टर के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है।

- राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष थानों की स्थापना की गई है। विधि विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर पर भी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई।

  अत्याचार के मामलों में राहत अनुदान की राशि संशोधन नियम, 2016 के आलोक में प्रदान की जा रही है। नियम-11 के तहत मामलों के सुनवाई के दौरान पीड़ित/आश्रित/गवाहों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान भी किया जा रहा है। आम जनता में जागरुकता फैलाने और व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विशिष्ट स्थानों पर होर्डिंग लगाये जाते हैं।

- मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना का उद्देश्य महादलितों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। इस हेतु 17,00,377 महादलित परिवारों को शिविर में उनके मनोनुकूल फिलिप्स इंडिया लि0 अथवा संतोष रेडियो प्रोडक्ट्स का रेडियो उपलब्ध कराये गए।

- महादलित वर्ग के भागीदारी से कार्यक्रम तैयार कर इसे प्रसारित करने हेतु 7 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, नालन्दा एवं सारण में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापना में हेतु कार्रवाई शुरु की गयी।

वर्ष 2020 से अबतक

- वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित **आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए दर में वृद्धि की गयी तथा राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से** किया जाने लगा।

  इसके तहत वर्ग 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को भोजन एवं जलपान हेतु 2300 रुपये प्रतिमाह, तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र आदि हेतु 7500 रुपये प्रतिवर्ष तथा बेडसीट, चादर, तकिया, दरी आदि के लिए 1200 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पठन-पाठन सामग्री हेतु वर्ग 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को 1710 रुपये प्रतिवर्ष एवं वर्ग 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को 2150 रुपये प्रतिवर्ष की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम** 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम, 15 (1) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2020-21 में योजना लागू की गयी। इसमें हत्या के मामले में पात्र आश्रित को सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया।

- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनाजति के अधिकतम 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय वाले अभिभवकों के बच्चों को लाभ देने का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था जिसके आलोक में लाभ दिया जाता है। वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों को और अधिक संख्या में लाभान्वित करने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'** लागू की गयी, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है, जिनके अभिभावक की **वार्षिक आय 2.50 लाख रु0 से 3.00 लाख रु0 तक** है।

  अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर राज्य के अंदर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य होती है।

  इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अबतक (नवंबर, 2023 तक) कुल 4,55,593 (चार लाख पचपन हजार पाँच सौ तिरानवे) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

- **स्टार्ट-अप नीति, 2022 -** राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017' लागू की गई थी, जिसकी अवधि समाप्त होने के उपरांत नई स्टार्ट-अप नीति, 2022 दिनांक 27.06.2022 से लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को बीज निवेश (Seed Investment)h की राशि के लिए निर्धारित सीमा के अलावे 15 प्रतिशत की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह भी प्रावधान किया गया है कि स्टार्ट अप निधि के लिए कुल संग्रह राशि का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्टार्ट-अप को प्रमाणित करने के लिए आवश्यकतानुसार मानदंडों को शिथिल करने की भी व्यवस्था है।

  स्टार्ट-अप नीति, 2022 से अबतक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 378 (तीन सौ अठहत्तर) उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है जिसपर 24.75 करोड़ (चैबीस करोड़ पचहतर लाख) रुपये का व्यय किया गया है।

- वर्ष 2022-23 में वैसे प्रखंडों में जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 हजार है तथा आवासीय विद्यालय नहीं है, में **720 आसन वाले कुल 40 डा0 भीमराव अम्बेदकर 10+2 आवासीय विद्यालयों के निर्माण** की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- वर्ष 2022-23 में वैसे प्रखंडों में जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 30 हजार है तथा छात्रावास नहीं है, में **100 आसन वाले कुल 136 राजकीय कल्याण छात्रावास के निर्माण** की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **वर्ष 2023-24 में सभी आवासीय विद्यालयों में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई, पोशाक आपूर्ति एवं पोशाक धुलाई की सेवा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठन द्वारा कराने का निर्णय लिया गया।**

- **वर्ष 2023-24 में बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना की स्थापना की गयी है।**

- **वर्ष 2023-24 में विभाग अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण में लगभग 700 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।**

- माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण किया गया। जाति आधारित गणना के आधार पर बिहार में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

- सतत् जीविकोपार्जन योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति सृजन हेतु देय सहायता राशि की सीमा 1 लाख से बढाकर 2 लाख रुपये तक की गयी।

Nov. 2024

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

बिहार सरकार

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समाज के सभी वर्गों को **विकास की मुख्यधारा** से जोड़ने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। **वर्ष 2005** में नई सरकार के गठन के पश्चात **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार** ने समाज के सभी वर्गों की सेवा का संकल्प लिया। उनका लक्ष्य रहा कि समाज के दबे-कुचले, हासिए पर रहे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। **'सामाजिक न्याय'** के महत्व को समझते हुए नीतियों का सूत्रण एवं योजनओं का क्रियान्वयन किया गया है। बिहार में आर्थिक विकास के ध्येय के साथ कार्य कर रही राज्य सरकार द्वारा समावेशी **विकास के लक्ष्यों** के साथ कभी समझौता नहीं किया गया है। समाज के कमजोर, साधनहीन एवं वंचितों का विकास हो सके, साथ ही, सभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव बना रहे, यह राज्य सरकार का संकल्प है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभाग के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभाग के कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विकास हेतु निरंतर नई योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इस विभाग के अंतर्गत निदेशालय, निगम, मिशन, अभिकरण एवं आयोग का गठन किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजट प्रावधान में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। राज्य योजना मद से वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कुल 40.48 करोड़ (चालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रु0 का वार्षिक योजना बजट था, जो **वर्ष 2023-24 में बढ़कर कुल 1800.55 करोड़ (एक हजार आठ सौ करोड़ पचपन लाख) रु0** हो गया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के हितों के संरक्षण एवं उनके प्रति अत्याचार के निवारण हेतु राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष थानों की स्थापना की गई है। विधि विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर पर भी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई हैं।

वर्ष 2005 से 2010

- बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया गया। इसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुरुप आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्ष 2007 में त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह ही नगर निकायों के निर्वाचन में भी इन वर्गों के लिए आबादी के अनुरुप आरक्षण कर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु **1 अप्रैल, 2007** को राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कल्याण विभाग का पुनर्गठन कर **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग** के रुप में स्वतंत्र विभाग का गठन किया गया।
- अनुसूचित जातियों में अत्यंत कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु वर्ष 2007 में **राज्य महादलित आयोग** का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर विचारोपरांत सरकार ने इस तबके के विकास हेतु एक परियोजना की स्वीकृति दी जिसके तहत आवासीय भूमि और शौचालय सहित आवास, विद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनकी बस्तियों में आँगनबाड़ी केन्द्र, चिकित्सा, सामुदायिक भवन, सम्पर्क पथ तथा जलापूर्ति जैसी व्यवस्था होनी थी। **महादलित समुदाय के सर्वांगीण विकास की इन योजनाओं को मिशन मोड में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2007-08 में बिहार महादलित विकास मिशन का गठन किया गया** तथा महादलितों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रथम चरण में 288.19 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की।
- महादलितों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं यथा- आवासीय भूमि योजना, महादलित जलापूर्ति योजना, आवास योजना, शौचालय निर्माण, महादलित बस्ती सम्पर्क पथ योजना, आँगनबाड़ी, क्रेच, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मोबाईल जनवितरण प्रणाली, मैला प्रथा की समाप्ति, सामुदायिक भवन-सह-वर्क-शेड, सामुदायिक टी0वी0, परिवार के स्तर पर रेडियो, महादलित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय/छात्रावास, मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि कार्यक्रम इत्यादि की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- महादलित टोलों में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-23 तक कुल लक्ष्य 5,508 (पाँच हजार पाँच सौ आठ) के विरुद्ध 4,271 (चार हजार दो सौ एकहत्तर) सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण किया जा चुका है। सामुदायिक भवन में वर्कशेड के साथ एक कमरा, दो शौचालय, चापाकल एवं चहारदीवारी के निर्माण का भी प्रावधान है।
- पूरे राज्य में भूमिहीन महादलितों के पहचान हेतु गहन सर्वेक्षण कराया गया।
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित मामलों का अन्वेषण एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2009-10 में किया गया।**
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-2009 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना लागू की गयी।** इसके तहत से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक (10वीं) परीक्षा पास करने पर 10,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गई।

  इस योजनान्तर्गत अबतक कुल 11,54,136 (ग्यारह लाख, चौवन हजार, एक सौ छत्तीस) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए नये आवासीय उच्च विद्यालय, स्वीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए अतिरिक्त नये भवनों एवं भवनहीन आवासीय विद्यालय के भवनों के निर्माण तथा आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के भवनों का जीर्णोद्धार कराया गया।
- अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया गया।
- अनु0 जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए संचालित तीन **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र** यथा- पटना, भागलपुर एवं दरभंगा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी।
- अभी प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु 10 जिलों के विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें GMAT/CAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाती है। इन केन्द्रों पर लगभग 1,680 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अबतक 10,764 (दस हजार, सात सौ चौंसठ) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- सभी छात्रवृत्तियों की स्वीकृति और वितरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का कैलेण्डर लागू किया गया। राज्य से बाहर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को नई व्यवस्था के तहत राज्य स्तर से छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया लागू की गयी।
- राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रसूति एवं नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर, अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ताओं का चयन कर रखा जाता है, जिसे **'ममता'** के नाम से जाना जाता है। ममता कार्यकर्ता स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने वाली स्थानीय रविदास समुदाय की महिला होती है, जिन्हें प्रत्येक प्रसव पर 300 रु0 की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान का प्रावधान है। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 4,871 ममता कार्यकर्ता कार्यरत हैं।
- महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए विभिन्न **पंचायत/वार्ड में विकास मित्र** को नियोजित किया गया।

  राज्य में 9,632 (नौ हजार छः सौ बत्तीस) विकास मित्र कार्यरत हैं। विकास मित्रों द्वारा अबतक 39,73,233 (उनचालीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ तैंतीस) महादलित परिवारों की आर्थिक एवं शैक्षणिक जानकारी से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया गया है।
- वर्ष 2005 के उपरांत **छात्रावास योजना** अंतर्गत जिन छात्रावासों का निर्माण कराया गया है, उनमें यह विशेष रुप से ध्यान रखा गया कि शौचालय, रसोई, पेयजल, इत्यादि जैसी बुनियादि सुविधाएँ उपलब्ध रहे ताकि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को काई कठिनाई नहीं हो। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 98 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 14 छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इससे अबतक 1,16,380 (एक लाख, सोलह हजार तीन सौ अस्सी) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- **थरुहट क्षेत्र विकास** के तहत वर्ष 2009 में पश्चिम चम्पारण में अनु0 जनजाति (थारु जनजाति सहित) के विकास हेतु समेकित थरुहट विकास अभिकरण का गठन किया गया है।

  समेकित थरुहट विकास अभिकरण को विगत वर्षों में कुल 97.45 करोड़ (सन्तानबे करोड़ पैतालीस लाख) रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे सम्पर्क पथ, जलापूर्ति, पुस्तकालय, बुनकर भवन, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, स्टेडियम, कम्प्यूटर प्रयोगशाला भवन एवं छात्राओं के लिए कॉमन रुम का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। उक्त राशि के तहत ली गई 272 योजनाओं में से 252 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं।

  समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से युवा विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2018-19 के बीच अनुसूचित जनजाति के 2320 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया है।
- थरुहट क्षेत्र विकास हेतु पश्चिम चम्पारण जिला में 125 करोड़ रु0 की लागत पर कई योजनाओं की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी यथा- (1) अनु0 जनजाति के लिए 5 बालक एवं 5 बालिका उच्च विद्यालय (2) समेकित थरुहट विकास अभिकरण का स्थापना (3) एक आई0टी0आई0 की स्थापना (4) सम्पर्क पथ के लिए अतिरिक्त राशि (5) अनुसूचित जनजाति (थारु जनजाति सहित) परिवारों के लिए सोलर लैम्प का वितरण (6) वन संरक्षण एवं आर्थिक विकास समूहों का गठन (7) महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन आदि।
- थरुहट क्षेत्र के बेलाटांडी (रामनगर) में 34.83 करोड़ (चौंतीस करोड़ तेरासी लाख) रूपये की लागत से 720 आसन वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2009 में रविदास जाति को महादलित में शामिल किया गया।
- अनुसूचित जातियों के गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।
- अनु0 जनजातियों के लिए 10 आयुर्वेदिक केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया गया।
- पैक्सों में राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों की सदस्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क तथा शेयर की राशि भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।
- कुल 7,07,924 महादलित परिवारों के वास हेतु 4 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया।
- मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि कार्यक्रम के तहत ट्रांजिस्टर वितरण प्रारंभ किया गया।
- आवासीय विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं यथा भोजन, वस्त्र आदि की दरों में लगभग दोगुना वृद्धि की गई।
- आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु माननीय विधान सभा सदस्यों को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
- अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के लिए छात्रवृत्ति मद में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- 6,422 महादलित विकास मित्रों का चयन किया गया।
- महादलित समुदाय के विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए 7141 उत्थान केन्द्र प्रारंभ किये गये जिनमें लगभग 163000 बच्चों का नामांकन किया गया।
- **दशरथ माँझी कौशल विकास योजना** सुप्रसिद्ध समाजसेवी दशरथ माँझी उर्फ माउंटेन मैन के नाम पर जनवरी 2010 से प्रारंभ की गयी है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के अन्तर्गत महादलित/दलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 1013 युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं 70 युवक-युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण की कई योजनाएँ वर्ष 2005 के पूर्व से चल रही थीं। नई सरकार के गठन के बाद इन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुचारु एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।**
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृति विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग-10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत वर्ष 2018-19 से अबतक (नवंबर, 2023 तक) कुल 1,54,69,975 (एक करोड़, चैवन लाख, उनहत्तर हजार, नौ सौ पचहत्तर) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- **परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में 2,86,679 (दो लाख छियासी हजार छः सौ उनासी) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- **मुसहर एवं भुईंया जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति-**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुसहर एवं भुईंया जाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में 100 रु॰ प्रतिमाह वर्ग 1 से 6 के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में इस मद में 1,388 लाख योजना में तथा स्थापना व्यय में 60 लाख रुपये के राशि के बजट का प्रावधान है।

वर्ष 2010 से 2015

- सभी जिलों के महादलित टोलों/गांवों में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन एवं विशेष समारोह का **आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है।** राज्य मुख्यालय स्तर पर महादलित टोले में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सम्मिलित होते हैं। इस कार्यक्रम में उस महादलित टोले के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उसका लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है।
- **विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास योजना** का क्रियान्वयन एक गैर सरकारी संस्था द्वारा पटना एवं गया जिले में किया जा रहा है। इसके तहत पटना में 150 महादलित छात्राओं एवं गया में 100 महादलित छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ गैर पारंपरिक शिक्षा भी दी जा रही है।

  इस योजना के तहत अबतक कुल 2,135 (दो हजार एक सौ पैंतीस) महादलित छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- अनुसूचित आदिम जनजातियों के विकास हेतु सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया गया एवं कुल 7631 आदिम जनजाति के व्यक्ति चिह्नित किये गये। इनके सर्वांगीण विकास हेतु समेकित कार्यक्रम तैयार किया गया।
- महादलित वर्ग के लाभान्वितों के घर पूर्ण करने हेतु राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत द्वितीय किस्त निर्गत होने के दो माह के अंदर घर पूरा करनेवाले महादलित परिवारों को 2,000 की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।

वर्ष 2015 से 2020

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु पढ़ाई जा रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **पूर्व से लागू मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना** के तहत वर्ष 2016-17 से 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को भी 8,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि तथा 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्राओं को क्रमशः 15,000 एवं 10,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि के भुगतान की शुरुआत की गयी।
- **आवासीय विद्यालय योजना** के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षणिक उत्थान के लिए पूर्व से आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अन्तर्गत